देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ...1441...... / भू अ० दिनांक : 04/9/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–बेहरा, थाना–सारठ, थाना सं०–491, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना खागा–फुटानी चौक–डीगरी–डुमरिया मोड़–महापुर पथ **पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–बेहरा, थाना–सारठ, थाना सं०–491, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.48 **एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	596	रैयती	बाड़ी–2	0.025	दरपन राय वल्द धनराज राय वो मु० संसार देव्या जौजे मदन राय वो सरजु राय वो राजो राय पे० घटरी राय वो मु० रीम्भा देव्या जौजे ननकु राय सा० देह। (ज०रै०)	फुलचुवॉ थाना नं०–216	अर्जित रकवा का शेष भाग	गोबिन्दपुर थाना नं०–492	अर्जित रकवा शेष भाग एवं बरमसिया नं०–494
2	14	570	रैयती	बाड़ी–2	0.285	बलराम प्रसाद राय पे० श्याम प्रसाद राय वो सुधाकर प्रसाद राय वो विशम्भर प्रसाद राय पे० राम प्रसाद राय सा०देह।				
3	17	595	रैयती	बाड़ी–2	0.02	रघु राय वल्द बानुलाल राय (ज०रै०) सा०देह।				
4	19	597	रैयती	बाड़ी–2	0.03	आलाव देव्या (आर०टी०)				
5	19	601	रैयती	बाड़ी–2	0.045	धानो देव्या (आर०टी०)				
6	22	598	रैयती	बाड़ी–2	0.02	शंकर राय वल्द अयोध्या राय वो श्रीनाथ राय वो वली राय वो मंगरू राय पेशरान गिरजा राय वो महनत राय वो टिकैत राय पे० उनीलाल सा०देह। (ज०रै०)				
7	26	600	रैयती	बाड़ी–2	0.055	अनुप राय पे० गोउर राय वो गोपाल राय पे० जनार्दन राय वो मुरलीधर राय वो पंचानन राय पे० शालीग्राम राय वो कुसुम देवी पति पृथ्वीनाथ राय वो बालकिशोर राय वो बज्र किशोर राय वो युगल किशोर राय पे० पृथ्वीनाथ राय वो विक्रम राय पे० विष्णु राय वो अभिराम राय पे० सहदेव राय वो गोखुल देव्या पति सीताराम राय वो सुबोध प्रसाद राय वो अशोक राय पे० सीताराम राय वो चिन्ता				

						देवी पति अनिल कुमार राय वो उत्तम कुमार राय वो पुरूषोत्तम कुमार राय पे० अनिल कुमार राय वो मधुसुदन राय वो राजेन्द्र प्रसाद राय पिता कन्हाई प्रसाद राय सा० देह।				
				कुल रकवा–	**0.48**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी देवघर 23.8.21   अपर समाहर्त्ता देवघर 28-08   31/08/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1441 / भू अ०, देवघर, दिनांक 04/9/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी देवघर 23.8.21   अपर समाहर्त्ता देवघर 28-08-2021   31/08/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।